TEERATH ACADEMY

Harakhpur Mandhata Pratapgarh

Ref. ....

Date ....

TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that the upload document is in original prescribed as per the state government.

सचिव
तीरथ
हरखपुर

Manager

500RS.

116/10

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु.

Rs 500

सत्यमेव जयते

पाँच सौ

FIVE HUNDRED RUPEES

20 AUG 2015

प्रतापगढ़

न्यास विलेख पत्र (TRUST DEED)

मैं *मैं शिव शंकर सिंह* सुत *स्व0 नागेश्वर सिंह* निवासी ग्राम–*टिकरी, पो0–हरखपुर, मानधाता, प्रतापगढ़* जिन्हें आगे अध्यक्ष/ मुख्य न्यासी व्यवस्थापक कहा गया है । व्यवस्थापक की इच्छा, समाज सेवा व शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने की है, जिसके लिए व्यवस्थापक ने यह ट्रस्ट स्थापित करने का निश्चय किया है ।

विदित हो कि व्यवस्थापक धनराशि अंकन ..11000../– रूपये के एक मात्र स्वामी व अधिकारी हैं तथा व्यवस्थापक शिक्षा व समाज के लिए कार्य व अन्य कार्य जिनका विवरण आगे दिया गया है, के लिए एक ट्रस्ट की स्थापना करना चाहता है और उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु व्यवस्थापक ने उक्त राशि अंकन ..11000..../– रुपये को इस उद्देश्य से हस्तान्तरित कर दी है और दे दी है कि न्यासीगण उक्त राशि को दी गयी शक्तियों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत बतौर न्यासीगण रखेंगे । उक्त ट्रस्ट के नाम पर आज तक कोई अचल व चल सम्पत्ति नहीं है । उक्त व्यवस्थापक ने ट्रस्ट का प्रथम ट्रस्टी होना स्वीकार किया है और इस विलेख का निष्पादन कर रहे हैं अतः व्यवस्थापक उपरोक्त इकरार करता है और घोषणा करता है कि :–

(1) ट्रस्ट का नाम :– *श्रीमती तीरथ देवी एजूकेशनल ट्रस्ट*

(2) पंजीकृत कार्यालयः– *ग्राम– टिकरी, पो0–हरखपुर, मानधाता, जिला–प्रतापगढ़ (उ0प्र0)*
(परन्तु ट्रस्ट का कार्यालय कहीं पर सहमति से स्थानान्तरित किया जा सकेगा)

(3) प्रतीक चिन्हः– भगवान शंकर जी का चित्र ।

(4) यह कि ट्रस्ट उक्त राशि का अंकन .11000../– जिसे आगे ट्रस्ट फण्ड कहा गया है तथा भविष्य में ट्रस्ट की सम्पत्ति, नगद राशि, निवेश, दान, ऋण अथवा अनुदान से प्राप्त

......2

सचिव
तीरथ एकेडमी
मानधाता-प्रतापगढ़

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CN 398313

13 AUG 2015

(2)

सम्पत्ति सावधि जमा अथवा चालू राशि जो उक्त ट्रस्टी को समय–समय पर यह प्राप्त हो, को धारण करेंगे तथा उक्त ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति को बतौर ट्रस्टी आगे दी गयी शक्तियों तथा कर्तव्यों का प्रयोग व अनुपालन करते हुए धारण करेंगे ।

(5) यह कि ट्रस्टी, ट्रस्ट पूँजी तथा अन्य चल व अचल सम्पत्तियों को शिक्षा संवर्धन के मुख्य कार्य तथा अन्य सामाजिक उत्थान के कार्य चिकित्सालय तथा शिक्षण संस्थाओं व कार्यशालाओं की स्थापना एवं संचालन व व्यवस्था, याची सेवा व सुविधा के कार्य हेतु धारण करेंगे तथा न्यासी के समय –समय पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

(6) यह कि उपरोक्त उद्देश्यों के अतिरिक्त तथा उन पर कोई प्रभाव डाले बिना ट्रस्टी ट्रस्ट के फण्ड तथा आय को तथा उसके समस्त किसी भाग को नीचे दिये गये उद्देश्यों में से किसी एक या अनेक समस्त और जितनी मात्रा में चाहे सर्वांगीण रूप से प्रयोग कर सकते हैं ।

<u>ट्रस्ट के उद्देश्य एवं कार्य :–</u>

1. मेडिकल कालेज, डेन्टल, नर्सिंग कालेज, फारमेसी कालेज एवं अस्पताल की स्थापना करना एवं संचालन करना ।
2. इंजीनियनिंग कालेज, व्यवसायिक कालेज की स्थापना एवं संचालन करना ।
3. कम्प्यूटर कोचिंग सेन्टर की स्थापना करना व संचालन करना ।
4. बेरोजगार, जरूरतमंद व बेसहारा व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान कराना ।

......3

1878 ... 21.8.15 ... 1.50

01877

न्यास पत्र

11,000.00

न्यास की राशि

110.00	20	130.00	800
फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री शिव शंकर सिंह
पुत्र श्री स्व.नागेश्वर सिंह
व्यवसाय व्यापार
निवासी स्थायी टिकरी सदर प्रतापगढ़
अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 21/8/2015 समय 4:59PM बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

शिवशंकरसिंह

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
सुशील कुमार
उप निबन्धक सदर
प्रतापगढ़
21/8/2015

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन

न्यासी

शिवशंकरसिंह

श्री शिव शंकर सिंह
पुत्र श्री स्व.नागेश्वर सिंह
पेशा व्यापार
निवासी टिकरी सदर प्रतापगढ़

ने निष्पादन स्वीकार किया ।

जिनकी पहचान श्री महेशनरायण मिश्र महेश नारायण मिश्र
पुत्र श्री रूददेव मिश्र
पेशा व्यापार
निवासी गोडे सदर प्रतापगढ़

व श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह राघवेन्द्रप्रतापसिंह
पुत्र श्री तिलकधारी सिंह
पेशा वकालत
निवासी रंजीतपुर चिलबिला सदर प्रतापगढ़

ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
सुशील कुमार
उप निबन्धक सदर
प्रतापगढ़
21/8/2015

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CN 398314

13 AUG 2015

(3)

5. लड़के व लड़कियों एवं सहशिक्षा के लिए विद्यालय, कालेज, महाविद्यालय, प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना करना व संचालन करना ।
6. यह कि ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए न्यास की समय–समय पर भूमि का ग्रहण, अधिग्रहण, संस्थाओं का अधिग्रहण, विलय, सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं, व्यक्तियों, संस्थाओं व विभागों से करने का पूर्ण अधिकार होगा ।
7. स्कूल, कालेज, तकनीकी कालेज, संस्कृत विद्यालय, महाविद्यालय, विधि व नर्सिंग शिक्षण, प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना व संचालन करना सभी प्रकार के ग्रेजूएशन, प्रशिक्षण तथा प्रबंध, चिकित्सीय शिक्षण, एलोपैथिक, होमियोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी व व्यवसायिक कोर्स हेतु कालेजों, संस्थानों की स्थापना, संचालन करना ।
8. नर्सरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल, राजकीय स्कूल व माध्यमिक स्कूल (हिन्दी व अंग्रेजी माध्यम) मदरसा व अन्य सभी प्रकार के स्कूलों की स्थापना करना व संचालन करना ।
9. शिक्षा के प्रचार व प्रसार हेतु सभी प्रयास करना ।
10. शैक्षिक किताबों, पेपर (साप्ताहिक, दैनिक समाचार पत्र, मासिक आदि) का प्रकाशन करना, लाइब्रेरी, रीडिंग–रूम तथा हॉस्टल / छात्रावास की स्थापना एवं संचालन करना ।
11. सभी प्रकार का फिल्म, टेली फिल्म, आदि का निर्माण करना ।
12. धर्मशाला, आश्रय केन्द्र, वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम अध्यात्मिक साधन एवं योग केन्द्र तथा सभी प्रकार के लिए धार्मिक संस्कार हेतु स्थल बनवाना व उनका संचालन करना ।

तीरथ एकेडमी
करनपुर, मानधाता-प्रतापगढ़

......4

1879 21.8.7 100

1877

न्यासी

Registration No.: 116 Year : 2,015 Book No. : 4

0101 **शिव शंकर सिंह**

स्व.नागेश्वर सिंह

टिकरी सदर प्रतापगढ

व्यापार

भारतीय गैर न्यायिक
पचास रुपये रु.50
भारत
सत्यमेव जयते
INDIA
FIFTY RUPEES Rs.50
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
AN 648334

13. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अल्पसंख्यक वर्ग, विकलांगो, विधवाओं तथा समाज के सभी वर्गों के जरूरतमंद व्यक्ति, छात्र, छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति व सहायता समाज कल्याण विभाग व सरकार से प्राप्त कर सहायता करना तथा उनके शिक्षण, प्रशिक्षण की व्यवस्था करना ।
14. सरकारी सहायता प्राप्त करना, सरकारी नोडल संस्था का विजनेस प्रमोटर एवं मास्टर फ्रेन्चाइजी बनाकर उसे बढ़ाने का कार्य करना तथा उक्त ट्रस्ट के द्वारा सरकारी अध्यापकों कर्मचारियों की कम्प्यूटर प्रशिक्षण देना तथा कम्प्यूटर खरीद कर देना एवं सर्विस प्रदान करवाना ।
15. समय–समय पर विभिन्न समस्याओं पर जन–मानस के विचारों को जानने के लिए प्रपत्र पर प्रारूप तैयार कर उस पर सर्वे कराना ।
16. विभिन्न सामाजिक कार्यों हेतु गैर सरकारी संगठन (एन0जी0ओ0) की स्थापना एवं संचालन करना ।
17. गंगा को प्रदूषण मुक्त कराना तथा गंगा सफाई हेतु प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार आदि से सिफारिस करना, जल बचाव संबंधी कार्य करना तथा आम जनता को जल से ही जीवन है संबंधी जानकारियाँ देना ।
18. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भवन निर्माण कराना तथा अन्य निर्माण कार्य कराना एवं समय–समय पर सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त करना ।
19. अस्पताल, औषधालय, पशु अस्पताल, अनुसंधान शालाओं एवं रसायन शालाओं की स्थापना एवं संचालन करना ।
20. प्राकृतिक पर्यावरण की स्वच्छ बनाये रखने के लिए वृक्षारोपण करना एवं सामाजिक वानिकी को बढ़ावा देना ।

सचिव
हरखपुर, मानधाता-प्रतापगढ़

शिवशंकर सिंह

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

59AC 954601

21. स्कूल व कालेज के छात्र, छात्राओं एवं समाज के एड्स रोग, अन्य महामारी रोगों से बचाव के लिए जागृत करने के लिए कार्यक्रम चलाना ।
22. कृषि भूमि तथा अन्य जमीन जायदाद खरीदना, दान प्राप्त करना, उन्हें क्रय–विक्रय करना हस्तानान्तरण करना तथा कृषि भूमि पर कृषि कार्य कराना ।
23. ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति के लिए भूमि क्रय करना, भूमि पट्टे पर लेना व देना, अनुबंध करना, ट्रस्ट द्वारा क्रयशुदा भूमि पर भवन निर्माण आदि कार्य करना ।
24. ट्रस्ट की आय बढ़ाने के उद्देश्य के सभी प्रकार के कार्य व प्रयत्न करना ट्रस्ट के लिए दान, लेना व दान की रसीद देना तथा आयकर की निर्दिष्ट धाराओं के अन्तर्गत कार्य कराना ।
25. ऐसे सभी सामाजिक कार्य करना जो समस्त मानव जाति के लिए कल्याणकारी हों ।
26. यह कि इस ट्रस्ट द्वारा विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय स्तर के सेमीनार/ कार्यशाला आयोजित करना ।
27. कृषि उन्नति एवं विकास हेतु अनुसंधान करना एवं वह सभी कार्य करना जिससे उत्पादन बड़े एवं समाज में कृषि शिक्षा सहित सामाजिक, आर्थिक विकास हो ।
28. समस्त भारतीयों को सामाजिक, आर्थिक रूप से मजबूत बनाने हेतु कार्य करना ।
29. भारतीयों के प्रतिभा पलायन को रोकना और स्वावलम्बी बनाकर राष्ट्र हित में कार्य करना ।

सचिव
तीरथ एकेडमी
हरखपुर, मानधाता, प्रतापगढ़

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

59AC 176892

30. प्रवासी, भारतीय मूल के निवासी के साथ मिलकर भारत देश से मधुर सम्बन्ध बनाते हुए उनके आपसी सहयोग से कार्य करना ।
31. वसुधैव कुटुम्बकम की भावना से कार्य करते हुए सभी जाति, धर्म, सम्प्रदाय के हित में कार्य करना ।
32. विभिन्न अनाथ, विधवा विकलांग, वृद्ध एवं सजा काट चुके बन्दियों हेतु आश्रम की स्थापना करना ।
33. वेश्याओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु कार्य करना, आवास रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना ।
34. विभिन्न विषयों पर सेमिनार प्रतियोगिता का आयोजन करना, पुरस्कार प्रमाण पत्र देकर प्रोत्साहित करना ।
35. शारीरिक शिक्षा , विकलांगों के लिए शिक्षण केन्द्र की स्थापना करना ।
36. भारत देश को नशा मुक्त बनाकर स्वच्छ राजनीति हेतु समाज के हर वर्ग को प्रेरित करना ।
37. पशुओं हेतु चारागाह, पशुशालाओं आदि की स्थापना करना ।
38. बाल विवाह रोकना, तलाकशुदा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कार्य करना ।
39. आपात कालीन विपदा के समय राष्ट्रीय संकट, दुर्घटना आदि के निराकरण हेतु स्वयं सेवक तैयार करना ।
40. राष्ट्रीयता का प्रचार–प्रसार करना ।

अध्यक्ष
तीरथ एकेडमी
हरखपुर, मानधाता-प्रतापगढ़

......7

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

59AC 176893

41. भारतीय लिपियों, विदेशी लिपियों का सम्बर्धन एवं संरक्षण करते हुए भाषा विकास हेतु कार्य करना । अन्य ऐसे सभी कार्य जो भारतीयों के साथ समस्त जगत के कल्याण हेतु किये जा सकते हैं । ऐसे सभी कार्यों का क्रियान्वयन करना ।

कार्यक्षेत्र :–

यह कि न्यास /ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र समस्त भारत वर्ष के अन्दर होगा ।

ट्रस्ट के अंग :–

ट्रस्ट में एक सलाहकार मण्डल होगा । जिसका प्रधान मुख्य ट्रस्टी होगा । जो समस्त कार्यों की व्यवस्था करेगा तथा सलाहकार मण्डल का अध्यक्ष होगा ।

ट्रस्ट के अधिकार व कर्तव्य एवं नियुक्ति :–

1. यह कि न्यासी को ट्रस्ट फण्ड को आय व उनके किसी भाग के जितने तथा जिस अवधि तक न्यासी चाहे जमा रखने तथा संचय की हुयी आय को कालान्तर में कभी या किसी भी समय ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यय करने का पूर्ण अधिकार होगा ।
2. यह कि न्यासी ट्रस्ट फण्ड या उसके किसी भाग अथवा भागों को किसी भी समय पर जैसे की ट्रस्टी उचित समझे उपरोक्त उनके कार्यों में से एक या अधिक पर व्यय कर सकते हैं ।

सचिव
तीरथ एकेडमी
हरखपुर,मानधाता-प्रतापगढ़

शिवरतन सिंह

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

भारत

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

59AC 176894

3. यह कि व्यवस्थापकों / ट्रस्टियों ने ट्रस्ट को सुचारू रूप से संचालन करने हेतु अपने में से अध्यक्ष व सचिव नियुक्त कर लिया है व्यवस्थापक ट्रस्टी की ट्रस्ट सुचारू रूप से संचालन करने के लिए नये ट्रस्टी बनाने व उनको पद देने का अधिकार होगा । व्यवस्थापक/मुख्य ट्रस्टी का कार्यकाल जीवनपर्यन्त होगा ।

4. ट्रस्टी समस्त संस्थाओं का प्रबन्धक होगा जो ट्रस्ट द्वारा स्थापित की जायेगी ।

5. न्यास के लिए जमीन या सम्पत्ति क्रय और विक्रय करने का अधिकार होगा । ट्रस्ट के समस्त बैंक खातों का संचालन स्वयं मुख्य ट्रस्टी व सचिव द्वारा या किसी एक के द्वारा किया जा सकेगा ।

6. अध्यक्ष के अनुपस्थिति में न्यास के लिए जमीन या सम्पत्ति क्रय करने व कोष का संचालन करने का अधिकार होगा ।

7. ट्रस्ट के विस्तार हेतु ब्लाक, जनपद, नगर, प्रदेश स्तर पर ट्रस्ट कार्यालय की स्थापना करेगा तथा उसके संचालन हेतु ट्रस्ट का एक संयोजक नियुक्त करेगां । इसके सहयोग हेतु एक समन्वयक होगा । ये सभी न्यासी के प्रसाद पर्यन्त होंगे ।

8. ट्रस्टी ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों, सदस्यों की नियुक्ति का अधिकारी होगा । आवश्यकता अनुसार एक संरक्षक मण्डल का गठन किया जा सकता है ।

सचिव
तीरथ एकेडमी
हरखपुर, मानधाता-प्रतापगढ़

......9

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 59AC 176895

9. ट्रस्टी को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का अधिकार होगा जो ट्रस्टी के मृत्यु के उपरान्त कार्य भार ग्रहण करेगा ।

सलाहकार मण्डल के पदाधिकारी :–

1. अध्यक्ष :–

कार्यवाही करने का अधिकार होगा । नये सदस्यों की सदस्यता अध्यक्ष की संस्तुति के बाद स्वीकार मानी जायेगी । जिसे सदस्य स्वीकार किया जायेगा उसको पंजीकृत डाक द्वारा जानकारी दी जायेगी । न्यासी अध्यक्ष समस्त कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा तथा बरखास्त करने का अधिकारी होगा । अपना प्रतिनिधि या विभिन्न क्षेत्रों, प्रकोष्ठों का प्रभारी नियुक्त कर सकता है । जो प्रतिनिधि मात्र होंगे । कानूनी कार्यवाही में अध्यक्ष का हस्ताक्षर अवश्य होगा ।

2. उपाध्यक्ष :–

ट्रस्ट के सदस्यता का विस्तार करना । कार्य क्षेत्रों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा । जो अध्यक्ष का प्रतिनिधि स्वरूप माना जायेगा । किन्तु ट्रस्ट का उत्तराधिकारी नहीं होगा ।

सचिव
तीरथ एकेडमी
हरखपुर, मानधाता - प्रतापगढ़

......10

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 59AC 176896

3. **सचिव :-**

ट्रस्ट की बैठक में पारित प्रस्ताव व आदेशों को कार्य रूप में परिणित करना । ट्रस्ट के दैनिक क्रिया-कलाप को संचालित करना । अन्य सभी कार्य क्षेत्रों में स्थापित कार्यालयों से अध्यक्ष के आदेशानुसार पत्र व्यवहार करना ।

सचिव के पद पर अवैतनिक एवं वैतनिक दोनों प्रकार के कर्मचारी/ सदस्य नियुक्त किये जा सकते हैं । जो मुख्य ट्रस्टी के विचाराधीन होगा ।

4. **सदस्यता :-**

1. ट्रस्ट में सभी जति, धर्म एवं दल, संगठन के लोग निःस्वार्थ भाव से सदस्य बन सकते हैं ।
2. सदस्य बनने हेतु साधारण सदस्यता शुल्क 10/- रूपये से लेकर 100/- रूपये तक देकर 02 वर्षों हेतु सदस्य बन सकता है ।
3. जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से न्यास को भारतीयों के विकास के लिए 5000/- या इससे अधिक की सम्पत्ति देगा । वह विशेष सदस्य बन सकता है ।
4. आजीवन सदस्य बनने हेतु कम से कम 50000/- रूपये या इससे अधिक की सम्पत्ति दान स्वरूप देना होगा ।

सचिव
तीरथ एकेडमी
हरखपुर,मानपाता-प्रतापगढ़

......11

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

भारत

TEN RUPEES

रु.10

सत्यमेव जयते

INDIA

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

59AC 176897

5. इन सदस्यों को यह अधिकार होगा कि संस्था के द्वारा किये जा रहे कार्यों का निरीक्षण कर ट्रस्टी को अवगत करा सकते हैं ।

उत्तराधिकार अधिनियम :–

मुख्य न्यासी सम्पूर्ण न्यास के कार्य क्षेत्रों, सम्पत्तियों का जीवन पर्यन्त अधिकारी रहेगा । जिसे यह अधिकार होगा कि बाद में वह अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकता है । उत्तराधिकारी घोषित न होने की दशा में न्यासी के पुत्रगण मुख्य ट्रस्टी पद को ग्रहण करेंगे और कार्य का संचालन करेंगे तथा उन्हें वह सभी अधिकार प्राप्त होंगे, जो मुख्य ट्रस्टी को प्राप्त हैं । मुख्य ट्रस्टी/ पदेन अध्यक्ष के अतिरिक्त सभी पदाधिकारी सदस्य उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकते हैं । उनके पद रिक्त होने की दशा में ट्रस्टी द्वारा सलाहकार मण्डल अपितु सदस्यों में से किसी को भी पदाधिकारी मनोनीत कर सकता है ।

(क) यह कि ट्रस्ट फण्ड में सम्मिलित राशि सम्पत्तियों या परिसम्पत्तियों या उनके किसी भाग को एक साथ अथवा खण्डों, सार्वजनिक नीलाम अथवा प्राइवेट अथवा संविदा द्वारा अथवा बिना शर्त विक्रय करना, क्रय करना, किसी विक्रय अथवा पुनः विक्रय की संविदा में परिवर्तन करने अथवा

सचिव
...तीरथ एकेडमी
...पुर, मानधाता-प्रतापगढ़

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

59AC 176898

विखण्डित करने का अधिकार होगा और ट्रस्टी उसमें हुई किसी हानि के जिम्मेंदार नहीं होंगे ।

(ख) यह कि एतदद्वारा संस्थापित किया गया ट्रस्ट अप्रतिसंहरणीय होगा परन्तु यदि किसी कारणवश से ट्रस्टीगण उक्त ट्रस्ट का संचालन करने में असमर्थ होंगे, तो ट्रस्ट की सभी सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों को निस्तारण कर ट्रस्ट की सभी देनदारियों का भुगतान करने के पश्चात् ट्रस्ट का विघटन कर सकते हैं ।

(ग) यदि किसी कारणवश ट्रस्ट न चल सका तो ट्रस्ट की समस्त चल व अचल सम्पत्तियाँ व्यवस्थापक / मुख्य ट्रस्टी के पुत्रगण व उनके बारिसान को वापस होगी ।

(घ) यह डीड ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा पंजीकृत करायी जायेगी ।

(ड.) यह कि अध्यक्ष ट्रस्ट की प्राप्ति व खर्चों का व ट्रस्ट फण्ड सम्पत्तियों का सम्पूर्ण उचित तरीके से बाकायदा हिसाब रखेंगे और प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले लेखा/आर्थिक वर्ष का वार्षिक आय–व्यय का लेखा चिट्ठा बनायेंगे, जो अध्यक्ष व सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और इसका आडिट चार्टर एकाउन्टेन्ट द्वारा कराया जायेगा ।

तीरथ एकेडमी

मानधाता-प्रतापगढ़

......13

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत सत्यमेव जयते INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 59AC 176899

(च) मुख्य ट्रस्टी के अतिरिक्त अन्य पदाधिकारियों एवं सलाहकार मण्डल सदस्यों सहित सभी सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा ।

(छ) ट्रस्ट में सदस्यता लेने वाले किसी भी स्वार्थ लाभ अपितु पद की महत्वाकांक्षा लेकर ट्रस्ट से न जुड़े यह ट्रस्ट भारतीयों एवं समस्त वसुधा के कल्याण हेतु निर्मित किया गया है ।

(ज) ट्रस्ट के उत्तराधिकारी निर्माता ट्रस्टी के कानूनी उत्तराधिकारी के अतिरिक्त बाहर के व्यक्ति नहीं होंगे । उपरोक्त के साक्ष्य स्वरूप ट्रस्टी अध्यक्ष ने अपने हस्ताक्षर किये हैं ।

<u>न्यासी सलाहकार मण्डल :-</u>

अध्यक्ष – *शिव शंकर सिंह* सुत *स्व0 नागेश्वर सिंह* निवासी ग्राम– *टिकरी, पो0–हरखपुर, मानधाता, जिला–प्रतापगढ़ ।*

उपाध्यक्ष– *अनिल सिंह सुत श्री शिव शंकर सिंह निवासी – टिकरी, पो0–हरखपुर, मानधाता, जिला–प्रतापगढ़ ।*

सचिव– *आदित्य सिंह सुत श्री शिव शंकर सिंह निवासी – टिकरी, पो0–हरखपुर, मानधाता, जिला–प्रतापगढ़*

सचिव
... एकेडमी
हरखपुर,मानधाता-प्रतापगढ़

शिवशंकरसिंह

......14

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

59AC 176900

सदस्य – *बिन्दू सिंह पत्नी श्री अनिल सिंह निवासी – टिकरी, पो0–हरखपुर, मानधाता, जिला–प्रतापगढ़ ।*

सदस्य– *प्रिया सिंह पत्नी श्री आदित्य सिंह निवासी– टिकरी, पो0–हरखपुर, मानधाता, जिला–प्रतापगढ़ ।*

विनीत

शिवशंकरसिंह

(शिव शंकर सिंह)

पुत्र स्व0 नागेश्वर सिंह

नि0 ग्राम– टिकरी, पो0– हरखपुर, मानधाता, प्रतापगढ़ (उ0प्र0)

ट्रस्टी / अध्यक्ष

श्रीमती तीरथ देवी एजूकेशनल ट्रस्ट,

जनपद– प्रतापगढ़ (उ0प्र0)

दिनांक : 21/08/15

गा0 राघवेन्द्र प्रतापसिंह ह0

गा0 महेश नारायण मिश्र ह0

तीरथ एकेडमी हरखपुर, मानधाता-प्रतापगढ़

क्रमांक 1034 21.8.15
नाम श्रीमती रीमा देवी एजुकेशनल ट्रस्ट
नि० ग्रा० द्विवेदी हरप्रसाद नगर
तह० सदर
प्रतापगढ़

अखिलेश कुमार
स्टाम्प विक्रेता लाइसेंस नं० 13
कलेक्ट्रेट, प्रतापगढ़

आज दिनांक **21/08/2015** को

बही सं **4** जिल्द सं **72**

पृष्ठ सं **215** से **242** पर क्रमांक **116**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सुशील कुमार
उप निबन्धक सदर
प्रतापगढ़
21/8/2015